राजस्थान सरकार
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई–डी.पी.आई.पी.

प.2 (46)ग्रा.वि./डीपीआईपी/2005 जयपुर, दिनांक 19.4.2006

<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

दिनांक 10.4.2006 को 3.00 बजे माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में गवर्निंग काउंसिल की सप्तम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **<u>परिशिष्ट 'अ</u>'** पर संलग्न है।

राज्य परियोजना निदेशक ने बैठक में उपस्थित सभी आगुन्तकों का स्वागत किया । बैठक में एजेण्डावार निम्नानुसार चर्चा की गईः–

<u>बिन्दु संख्या –1</u>

गत बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन

गवर्निंग काउंसिल ने गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की।

<u>बिन्दु संख्या –2</u>

छठी गवर्निंग काउंसिल में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति :–

राज्य परियोजना निदेशक ने गवर्निंग काउंसिल को गत बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति से अवगत कराया जिस पर गवर्निंग काउंसिल ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए निम्नानुसार चर्चा की।

क्रस सं. 1 : बिन्दू सं. 18ः पशु स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना –

इस क्रम में गवर्निंग काउंसिल ने निर्णय लिया कि संभागीय स्तर पर उपलब्ध पशुपालन विभाग की मोबाईल पशु चिकित्सालय का उपयोग डीपीआईपी जिलों में लिया जा सकता है। जो संबंधित जिले में जाकर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवायेगी।

इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ने सुझाव दिया कि इस कार्य हेतु क्षेत्रवार Livestock के CIGs का Mapping किया जाकर यह सुविधा मुहैया कराई जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो डीपीआईपी जिलों के पशुपालन विभाग को किराये पर डीपीआईपी मद से वाहन व आवश्यक दवाईयां उपलब्ध कराई जा सकती है।

इस प्रस्ताव का गवर्निंग काउंसिल ने अनुमोदन किया व इस हेतु राज्य परियोजना निदेशक को अधिकृत किया गया।

जिन गाँवों में समान रुचि समूह द्वारा पशु क्रय किये गये है वहाँ प्राथमिक उपचार व कृत्रिम गर्भाधान (AI) की सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु 'गोपाल' प्रशिक्षित किए जाए। राज्य परियोजना निदेशक इन क्षेत्रों का चयन कर उपयुक्त प्रशिक्षणार्थियों को चिन्हित कर पशुपालन व डेयरी विभाग से प्रशिक्षण दिलवायेंगे। इन गोपाल को प्राथमिक उपचार किट व AI किट भी परियोजना से दी जावे। उपर्युक्त कार्य 3 माह में सम्पन्न किया जावे।

क्रस सं. 1 : बिन्दू सं. 20: गांधी ग्राम योजनाः –

गांधी ग्राम योजना से संबंधित बिन्दु की अनुपालना के संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए शेष 8 ब्लॉक्स में infrastructure gaps को चिन्हित करते हुए लागू करने हेतु निर्देश दिया। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि इस योजना में हुए विलम्ब के लिए संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

क्रस सं. 21 : टोंक जिलें में निवाई ब्लॉक में गवार पाठा कृषि नवाचार उप–परियोजना–

राज्य परियोजना निदेशक ने अवगत कराया कि इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसे अध्यक्ष महोदय के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जावे।

क्रस सं. 28 : समूहों की गुणवत्ता में सुधार व स्थायित्व प्रबंध –

गैर सरकारी संस्थाओं एवं जिला परियोजना प्रबंधकों के मध्य अनुबंध एवं योजना से संबंधित दिशा निर्देश का अवलोकन किया गया। परन्तु इस बात पर असंतोष व्यक्त किया गया कि मात्र 3 अनुबंध ही हुए है। शेष अनुबंध 7 दिन में निष्पादित करने हेतु निर्देश दिये गये और देरी के कारणों से भी अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

क्रस सं. 31 : परियोजना के द्वितिय चरण के संबंध में –

उक्त निर्णय की अनुपालना में *परियोजना के द्वितिय चरण हेत* concept paper गवर्निंग काउंसिल की आगामी बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गए।

क्रस सं. 34 : प्रभावी मोनिटरिंग के संबंध में –

उक्त निर्णय की अनुपालना के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का निस्तारण तुरन्त एवं प्रभावी रुप से किया जावे एवं भविष्य मे प्राप्त होने वाली शिकायतों का तत्परता से निस्तारण किया जावे। जिन शिकायतों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है उनका परीक्षण कर सक्षम स्तर पर 1 माह के अन्दर उन पर निर्णय कराया जावे। शिकायतों पर की गई कार्यवाही से माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया जावे।

क्रस सं. 35 :गवर्निंग काउंसिल के सदस्य माननीय श्री माणिक चंद सुराणा अनुशंषित गौवंश के संवर्द्धन पर बल देने के संबंध में –

गवर्निंग काउंसिल द्वारा उक्त निर्णय की अनुपालना में की गई कार्यवाही का अवलोकन किया।

बिन्दू संख्या 3 : क्रम सं 1 – परियोजना प्रगति के संबंध में –

गत बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये थे कि जिला प्रभारी अधिकारी द्वारा संबंधित जिले के भ्रमण उपरान्त रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जावे। परन्तु उक्त निर्णय की अनुपालना के संबंध में भ्रमण रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं हो रही है तथा माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। इस पर राज्य परियोजना निदेशक को निर्देश दिये गए कि जनवरी 2006 के उपरान्त प्राप्त समस्त रिपोर्टें 30 अप्रेल 2006 से पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जावें।

बिन्दू संख्या 3 : क्रम सं 2 – अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता मे गैर सरकारी संस्थाओं एवं जिला परियोजना प्रबंधकों की समीक्षात्मक बैठक के संबंध में।

इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक ने अवगत कराया कि उक्त बैठक के लिए आगामी तिथि निर्धारण हेतु पत्रावली माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत कर दी गई है।

बिन्दू संख्या 4 : वित्तीय वर्ष 2005–06 के लक्ष्य एवं प्राप्ति तथा वर्ष 2006–07 का लक्ष्य

उक्त बिन्दू की अनुपालना के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु 200.00 करोड़ की राशि के उपयोग हेतु कार्य योजना बनाई जाकर कार्यवाही की जावे।

गत बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये थे कि ''परियेाजना क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निराकरण विभागीय स्तर पर नहीं हो पा रहा है तो ऐसी समस्याओं को 15 दिवस में उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाये जिससे समस्याओं का निराकरण हो सके तथा परियोजना की गति सुनिश्चित की जा सके''। इस प्रकार के प्रकरण माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिए पुनः निर्देश दिये गये।

साथ ही यह निर्णय लिया गया कि जिन जिलों की प्रगति धीमी रही है, उन जिलों के जिला परियोजना प्रबंधको के स्थान पर अन्य योग्य अधिकारियों को लगाया जावे ताकि परियोजना के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें। इस क्रम में एम्पावर्ड कमेटी के निर्णय दिनांक 7.5.2002 की अनुपालना में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से निर्देश प्राप्त कर संविदा आधार पर 2 जिला परियोजना प्रबंधक एवं 4 प्रबंधक लिये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही की गवर्निंग काउंसिल ने पुष्टि की।

इसके अतिरिक्त जिला चूरु, राजसमंद एवं धौलपुर की प्रगति का अवलोकन किया गया। इन तीन जिलों में चूरु एवं राजसमंद की प्रगति धीमी पाई गई। अतः गवर्निंग काउंसिल ने निर्देशित किया कि धीमी प्रगति वाले जिलों के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 योग्य एवं कर्मठ अधिकारियों को लगाये जाने हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जावें।

बिन्दू संख्या 5 : डीपीआईपी कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण

उक्त निर्णय की अनुपालना का गवर्निंग काउंसिल ने अवलोकन किया।

बिन्दू संख्या 6 : वर्ष 2005–06 के प्रस्तावित बजट का अनुमोदन

उक्त निर्णय की अनुपालना में बजट परिनिर्णायक समिति में रखे गए प्रस्ताव पर गवर्निंग काउंसिल ने अपनी सहमति व्यक्त की।

बिन्दू संख्या 9 : क्रम सं. 1 माइक्रो फाईनेन्स सलाहकार हेतुः

उक्त बिन्दु की अनुपालना पर नाबार्ड से पत्र व्यवहार किया गया, जिनके द्वारा माइक्रो फाईनेन्स सलाहकार पद पर अधिकारी देने में असमर्थता व्यक्त की गई । चूंकि विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक ऐड मेमोयर में माइक्रो फाईनेन्स सलाहकार नियुक्त किए जाने की सिफारिश की जाती है, इसलिए प्रकरण पृथक से निर्णय हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

बिन्दू संख्या 9 : क्रम सं. 3 परियोजना भवन में स्थान/भवन निर्माण :

उक्त निर्णय के क्रम में गवर्निंग काउंसिल ने यह निर्णय लिया की वर्तमान में परियोजना की शेष अवधि को देखते हुए नवीन भवन निमार्ण की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दू संख्या 11: ग्राम पंचायत चरडाना एवं अरडाना में निमार्ण कार्यः–

उक्त निर्णय की अनुपालना का गवर्निंग काउंसिल ने अवलोकन किया एवं यह निर्णय लिया की सी. सी.रोड़ एवं नाली निर्माण कार्यो हेतु भविष्य में परियोजना निधि से कार्य स्वीकृत नहीं किये जावे।

<u>बिन्दु संख्याः– 3</u>

<u>विश्व बैंक मिशन (नवम्बर 9– 25, 2005) के निरीक्षण बिन्दु एवं कियान्विति :–</u>

गवर्निंग काउंसिल ने निर्णय लिया कि विश्व बैंक से प्राप्त निरीक्षण बिन्दु एवं क्रियान्विति पृथक से माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जावे।

<u>बिन्दु संख्याः– 4..</u>

(i) राजस्थान– डीपीआईपी में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों की डीपीआईपी कार्य पद्धति पर अनुशंषायें एवं उन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निर्णय का गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन किया गया।

(ii) <u>नेचुरल रिसोर्स मैनेजमैंट :—</u>

गवर्निंग काउंसिल ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय लिया कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (विशेष परियोजना) के तहत जिला भीलवाडा में संस्था रिडमा (बैफ से संबंधित संस्था) को परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी नियुक्त करते हुए चारागाह विकास योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसे आधार मानते हुए

(i) रिडमा संस्था द्वारा डीपीआईपी के 6 जिलों में चारागाह विकास हेतु गैर सरकारी संस्थाओं के विषय विशेषज्ञ, चयनित जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रबंधन इकाई के अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट कराई जावे।

(ii) रिडमा संस्था एवं उपरोक्त प्रशिक्षण के उपरान्त रिडमा से व डीपीआईपी में कार्यरत अन्य सक्षम गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से चारागाह विकास की परियोजना का स्र्वण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (विशेष परियोजना जिला भीलवाडा) को आधार मानते हुए क्रियान्वित किया जावे। यह कार्य 3 माह में प्रारंभ होना चाहिए क्योंकि परियोजना की समाप्ति में 2 वर्ष से कम का समय रह गया है।

<u>बिन्दु संख्याः— 5</u>

<u>एसपीएमयू स्तर पर उप परियोजनाओं में लाभाथियों के अंशदान में 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय :—</u>

इस बिन्दु के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में गवर्निंग काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि डेयरी/भेड—बकरी की उप—परियोजनाओं में समूह का अंशदान (beneficiary contribution) 20 प्रतिशत तथा डीपीआईपी मद से अनुदान 80 प्रतिशत होगा तथा ट्रेडिंग एवं स्टोन कटिंग की उप—परियोजनाओं में समूह का अंशदान (beneficiary contribution) 10 प्रतिशत तथा डीपीआईपी मद से अनुदान 90 प्रतिशत होगा। डेयरी/भेड—बकरी की उप—परियोजनाओं में ग्रुप कोष की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

<u>बिन्दु संख्याः— 6</u>

बिन्दु संख्या 6 के संबंध में बिन्दू सं. 13 पर विस्तुत रुप से चर्चा की गई।

<u>बिन्दु संख्याः— 7</u>

(i) <u>परियोजना कोष का पुनः आवंटन :—</u>

गवर्निंग काउंसिल ने विस्तृत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया कि चूंकि प्रशिक्षण मद में व्यय की गति धीमी रही है, अतः पुनः आवंटन की पुनः गणना कर माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया जावे तथा उन्हें इसे अनुमोदन किए जाने हेतु गवर्निंग काउंसिल द्वारा अधिकृत किया गया।

(ii) समान रूचि समूहों के गठन पर प्रतिबन्ध तथा प्रति लाभान्वित को अनुदान सहायता निश्चित करने हेतु :–

1. गवर्निंग काउंसिल ने विस्तुत चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया कि :
   (i) चूरु एवं राजसमंद जिलों को छोडकर शेष पाँच जिलों में वर्तमान में गठित 20671 समूहों की संख्या पर रोक लगा दी जावे एवं नये समान रुचि समूहों का गठन नहीं किया जावे।
   (ii) शेष पाँच जिलों में परियेाजना में जिन गैर सरकारी संस्थाओं की प्रगति अच्छी है तथा जिनके द्वारा गठित समान रुचि समूह के खातों में हस्तांतरित राशि की 50 प्रतिशत राशि से अधिक के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये है, उनको अतिरिक्त समान रुचि समूह गठित करने की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त प्रदान की जा सकती है।
2. प्रति सी.आई.जी,. डीपीआईपी अंशदान औसतन 1,25,000/– रूपये के हिसाब से एन.जी.ओ. की सी.आई.एफ (Community Investment Fund) सीमा निर्धारित किये जाने के प्रस्ताव पर गवनिंग काउंसिल ने असहमति व्यक्त की।
3. जिलेवार पूर्व में आवंटित राशि के पुनःआवंटन के संबंध में गवनिंग काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि इसकी पुनः गणना की जाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
4. बारां जिले में सहरिया परिवारों हेतु डीपीआईपी के तहत की जा रही कार्यवाही की प्रशंषा की गई।
   (i) 4500 सहरिया आवास के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 3804 आवासों की स्वीकृति जारी की गई है जिसके लिए 9.51 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। अतः unallocated मद से बारां जिले को सहरिया आवास हेतु रु. 9.51 करोड़ की अतिरिक्त राशि जिला बारां को आवंटित करने के प्रस्ताव का गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदन किया गया। इस अतिरिक्त आवंटन के मध्यनजर जिला बारां में अन्य ढांचागत निर्माण कार्यो पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर गवनिंग काउंसिल ने सहमति व्यक्त की तथा आवश्यक होने पर जिला बारां में अतिरिक्त ढ़ाचागत निर्माण कार्य स्वीकृत करने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय को गवर्निंग काउंसिल ने अधिकृत किया।
   (ii) उप शासन सचिव वित्त ने अवगत कराया कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया के बजट भाषण के बिन्दु संख्या 84 में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना का हवाला देते हुए वित्तीय वर्ष 2006–07 में वन विभाग की भूमि के विकास हेतु 4000 हैक्टेयर नये क्षेत्र लिये जाकर नये सहरिया परिवारों को जोड़ते हुए वन प्रबंधन व विकास के कार्य हेतु रु. 3 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया है। अतः उप शासन सचिव ने डीपीआईपी से रु. 3.00 करोड़ का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा, जिसका गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदन किया गया।

5. दौसा जिले को अतिरिक्त बजट आवंटन के संबंध में रु. 10.00 करोड राशि unallocated मद से जिला दौसा के CIF मद में अतिरिक्त आवंटन किये जाने का निर्णय गवनिंग काउंसिल द्वारा लिया गया। किन्तु यह राशि अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति उपरान्त केवल उन्हीं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा गठित समान रुचि समूहं को उपलब्ध करवाई जावेगी जिन गैर सरकारी संस्थाओं की प्रगति अच्छी रही है।
6. जिलेवार आवंटन के पश्चात ब्लॉकवार आवंटन जिला कलेक्टर के स्तर से किया गया था, परन्तु परियोजना में उपलब्ध सी.आई.एफ राशि की सीमितता के कारण कुछ ब्लाको में राशि कम पड रही हैं। अतः राशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के बिन्दु को ध्यान में रखते हुये अन्तर ब्लाक हस्तान्तरण के लिये जिले को आवंटित CIF राशि की 10 प्रतिशत की सीमा तक एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हस्तांतरित करने हेतु जिला कलेक्टर को तथा जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर 25 प्रतिशत की सीमा तक राज्य परियोजना निदेशक को अधिकृत करने का निर्णय गवनिंग काउंसिल द्वारा लिया गया।
7. जिला कलेक्टर, झालावाड द्वारा सूचित किया गया हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 17.12.2005 को झालावाड प्रवास के दौरान मनोहरथाना पंचायत समिति के 60 गॉव किसी भी एन.जी.औ को आवंटित कर परियोजना से लाभान्वित करने की धोषणा की गयी हैं । अतः उक्त 60 गॉव अरावली द्वारा चयनित एवं अनुमोदित एन.जी.ओ. को 120 समूहों के गठन हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय गवर्निंग काउंसिल द्वारा लिया गया।

<u>बिन्दु संख्याः— 8</u>

<u>सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना :—</u>

गवनिंग काउंसिल ने इस संबंध में एम्पावर्ड कमेटी की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय की पृष्टि की।

<u>बिन्दु संख्याः— 9</u>

<u>वर्ष 2006— 07 के लिये बजट अनुमान :—</u>

इस संबंध में गवर्निंग काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 2006— 07 के बजट अनुमान हेतु 200.00 करोड का एक्शन प्लान तैयार किया जावे।

<u>बिन्दु संख्याः— 10</u>

<u>एनजीओ जिन्होने 30.6.2007 तक के लिये अपनी सेवाओं के अनुबन्ध का नवीनीकरण किया है, के भुगतान के सम्बन्ध में :—</u>

एम्पावर्ड कमेटी की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय की पुष्टि करते हुए गवर्निंग काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि

(i) प्रभावी मोनिटरिंग हेतु MIS का निरन्तर update होना आवश्यक है। इस हेतु प्रति समान रुचि समूह प्रति मासिक रिपोर्ट रु. 100/— परियोजना की शेष अवधि जून 2007 तक भुगतान किया जावेगा। जो कि इस अवधि के लिए प्रति समान रुचि समूह रु. 2000 से अधिक नहीं होगी।

टास्क	प्रस्तावित भुगतान राशि	
	कम्प्यूटराईज्ड सीडी	मैन्यूअल रिपोर्ट
प्रपत्र – AM 1.1 CIG Details (including saving, meeting, inter Loaning and bank linkages details)	रु. 30/– प्रति सीआईजी प्रति मासिक रिपोर्ट	रु.18/– प्रति सीआईजी प्रति मासिक रिपोर्ट
प्रपत्र – AM 3.1 CIG Project Details (including project status, project income generation plan, release amount and UC/CC status details)	रु. 30/– प्रति सीआईजी प्रति मासिक रिपोर्ट	रु.18/– प्रति सीआईजी प्रति मासिक रिपोर्ट
प्रपत्र – AM 11 CIGs Training (including orientation, skill improvement training and exposure visit)	रु.20/– प्रति सीआईजी प्रति मासिक रिपोर्ट	रु.12/– प्रति सीआईजी प्रति मासिक रिपोर्ट
प्रपत्र – AM 12 Details of Convergence (including convergence with various RD & other schemes details)	रु.20/– प्रति सीआईजी प्रति मासिक रिपोर्ट	रु.12/– प्रति सीआईजी प्रति मासिक रिपोर्ट

(ii) गैर सरकारी संस्थाओं के टास्क बिलों से स्टॉफ के पदस्थापन या कम दर से भुगतान के कारण पूर्व में रोकी गई राशि का भुगतान दिनांक 31.12.2005 तक स्वीकृत की गई उप–परियोजनाओं से विभक्त करते हुए प्रति समान रुचि समूह की गणना कर इन उप–परियोजनाओं के पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त अनुबंध में वर्णित अंतिम किश्त (15%) की राशि के भुगतान के साथ–साथ किया जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया गया।

<u>बिन्दु संख्याः– 11</u>

<u>अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की सहमती से।</u>

डीपीआईपी के प्रत्येक जिले से संबंधित पूर्ण सूचना जिसमें समान रुचि समूह एवं उप–परियोजनाओं की पूर्ण सूची शामिल हो उसका विवरण माननीय अध्यक्ष महोदय एवं राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को भिजवाने हेतु अध्यक्ष गवर्निंग काउंसिल द्वारा निर्देश दिये गये।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु</u>

<u>बिन्दु संख्याः– 12</u>

<u>परियोजना की प्रगति माह मार्च 2006 तक :–</u>

गवर्निंग काउंसिल ने परियोजना की प्रगति का अवलोकन किया।

<u>बिन्दु संख्याः– 13</u>

<u>वित्तीय वर्ष 2005–06 के लक्ष्य एवं प्राप्ति एवं वर्ष 2006–07 के लक्ष्य</u>

इस संबंध में गवर्निंग काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 2006– 07 हेतु 200.00 करोड का एक्शन प्लान तैयार किया जावे।

बिन्दु संख्याः— 14

SGSY पद्धति आधारित डीपीआईपी पॉयलेट प्रोजेक्ट

गवर्निंग काउंसिल ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय का अवलोकन किया। अध्यक्ष गवर्निंग काउंसिल ने गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में लिए गए मूल निर्णय को यथावत रखते हुए व्यवस्था दी कि परियोजना में गैर सरकारी संस्थाओं से अनुबंध पुरानी पद्धति पर (As per existing DPIP Model) ही किया जावे जिससे परियोजना क्रियान्वयन में एकरुपता बनी रहे। छठी गवर्निंग काउंसिल के निर्णय की क्रियान्विति में आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श के उपरान्त SGSY pattern के अनुबंध में प्रति स्वंय सहायता समूह राशि रु. 10,000 को बढ़ाकर old pattern के प्रावधान अनुसार रु. 12,500 कर दिये जाने एवं SGSY pattern पर किये गये अनुबंध के स्थान पर पुनःपुरानी पद्धति के अनुसार अनुबंध किये जाने का निर्णय भी गवर्निंग काउंसिल ने लिया।

बिन्दु संख्याः— 15

प्रदान संस्था के अनुबंध में संशोधन :—

परियोजना की बढ़ी हुई अवधि के लिए समस्त गैर सरकारी संस्थाओं के साथ जो बढ़ी हुई अवधि के लिए अनुबंध किया जा रहा है, उसमें स्टॉफ की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए प्रदान संस्था को उनके अनुबन्ध के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित टिप्पणी " ... Linkages of CFs & CCs has been eliminated at the instance of NGO and accordingly if any misappropriation or fraud in handling of funds occurs in any CIG, NGO will pay that amount to SPMU....". को हटाये जाने के प्रस्ताव का गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्याः— 16

Cluster Development of Micro- Enterprises

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय का गवर्निंग काउंसिल द्वारा अवलोकन किया गया तथा अवलोकन उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि

(i) उक्त प्रस्ताव उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सातवीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरुप पुनः प्रस्तुत किया जावे।

(ii) राज्य परियोजना निदेशक द्वारा गवर्निंग काउंसिल को अवगत कराया गया कि रुडा से हालही में दिनांक 7.4.2006 को कलस्टर विकास हेतु 4 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इस क्रम में रुडा से प्राप्त प्रस्ताव एवं इस दौरान यदि अन्य कोई कलस्टर विकास के प्रस्ताव प्राप्त होते है तो उस पर निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष गवर्निंग काउंसिल को अधिकृत किया गया।

बिन्दु संख्याः— 17

बिन्दु सं. 7(ii) के अन्य बिन्दु

बिन्दु संख्या 7 के निर्णय के अनुरुप कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>बिन्दु संख्याः— 18</u>

<u>डीपीआईपी जिलो में बल्क मिल्क कूलर्स स्थापना के संबंध में।</u>

(i) डीपीआईपी के 4 जिलो में RCDF के प्रस्तावानुसार राशि रु. 148.00 लाख की लागत से 28 बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना के संबंध में गवर्निंग काउंसिल ने सहमति व्यक्त की एवं

(ii) इस संबंध में यह सुझाव दिया कि बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना समारोह के रुप में की जावे जिससे परियोजना का प्रचार—प्रसार हो सके तथा आम गरीब व्यक्तियों की इसकी जानकारी हो सके।

<u>बिन्दु संख्याः— 19</u>

<u>धौलपुर जिले में बकरी पालन के कलस्टर विकास परियेाजना स्वीकृति हेतु :—</u>

1. कोर थेमेटिक ग्रुप (लाइवस्टॉक) द्वारा 50 समान रुचि समूह के लिए कलस्टर विकास पर 5.30 लाख रुपये का व्यय की सीमा निर्धारित की गई थी। इसी को आधार मानते हुए विश्व बैंक मिशन (मई 23—30, 2005) के बाद प्राप्त ऐड मेमोयर (16.6.2005) के Annexure 7 में बकरी पालन के कलस्टर विकास हेतु रु. 5.30 लाख का प्रावधान रखा गया था। प्रदान संस्थान द्वारा प्रस्तावित कलस्टर में 70 समान रुचि समूहों का समावेश किया गया है। अतः कलस्टर विकास हेतु आनुपातिक रुप से (रु. 10600/— प्रति समान रुचि समूह की दर से) रु. 7.42 लाख रुपये सीमा तक व्यय अनुमोदित किये जाने के प्रस्ताव पर गवर्निंग काउंसिल ने अपनी सहमति व्यक्त की।

(i)	क्षमता विकास : • पशु सवंर्धन कार्य में सहायक गोपाल इत्यादि का प्रशिक्षण • कलस्टर गतिविधि के लिये कार्यशाला • सहेली संगठन के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण इत्यादि	रु. 1,27,000	शत प्रतिशत व्यय डीपीआईपी के क्षमता वर्धन मद से (रु. 1814 प्रति समान रुचि समूह)
(ii)	**संगठन के लिए अनावर्ती व्यय :** संगठन के लिये फर्नीचर, फिक्सचर, मेडिकल किट	रु.1,46,000	80 प्रतिशत अनुदान संगठन को CIF मद से दिया जावेगा। (रु. 1669 प्रति समान रुचि समूह)
(iii)	संगठन को प्रभावी ढंग से चलाने हेतु आवर्ति व्यय • संगठन कर्मी का मानदेय • पशु सवंर्धन कार्य में सहायक गोपाल इत्यादि का मानदेय • कार्यालय व्यय	रु.3,54.000	दिनांक 31 दिसम्बर 2006 तक के आवर्ती व्यय का 80 प्रतिशत पुनर्भरण (रु. 2697 प्रति समान रुचि समूह) दिनांक 1 जनवरी 2007 से 30 जून 2007 तक आवर्ती व्यय का 60 प्रतिशत (रु. 1517 प्रति समान रुचि समूह)

(iv)	**गैर सरकारी संस्था का फेसीलीटेशन चार्जेजः** गैर सरकारी संस्था द्वारा भौगोलिक कलस्टर के सदस्यों पशु सवंर्धन कार्य में सहायक गोपाल इत्यादि एवं गतिविधि कलस्टर के सदस्यों का हैण्डहोल्डिंग एवं सदस्यों का बकरी विक्रय के लिए मार्केटिंग लिंकेज प्रदान कराने के लिए	1,99,200	रु. 2800/– प्रति समान रुचि समूह अ. समान रूचि समूह को Q&S के अन्तर्गत sustainability parameter के B grade प्राप्त करने पर 1400 रूपये प्रति समान रूचि समूह। ब. समान रूचि समूह को Q&S के अन्तर्गत sustainability parameter के A grade प्राप्त करने पर अतिरिक्त 1400 रूपये प्रति समान रूचि समूह ।

2. परियोजना प्रस्ताव में वर्णित पशु सवंर्धन कार्य में सहायक गोपाल इत्यादि के प्रशिक्षण एवं अन्य बिन्दुओं हेतु परियोजना प्रस्ताव के तकनीकी आंकलन के लिए जिला पशुपालन अधिकारी को अधिकृत करने के प्रस्ताव को गवर्निंग काउंसिल ने स्वीकृति प्रदान की।
3. डीपीआईपी की कार्य निर्देशिका के अनुसार सक्षम अधिकारी को कलस्टर परियोजना की स्वीकृति हेतु अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को गवर्निंग काउंसिल ने स्वीकृति प्रदान की।
4. प्रदान संस्था द्वारा सहेली राहत कोष में डीपीआईपी मद से रुपये 12.00 लाख के अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर गवर्निंग काउंसिल ने असहमति व्यक्त की।

राज्य परियोजना निदेशक ने बैठक में उपस्थित सभी महानुभावों को बैठक में भाग लेने हेतु धन्यवाद दिया। इसी के साथ गवर्निंग काउंसिल की सप्तम बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Sd.
(अभय कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक एवं
शासन विशिष्ट सचिव, डीपीआईपी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. श्री मानिक चंद सुराणा, अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग, जयपुर।
4. श्री ए.के. पाण्डे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
7. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
8. शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
9. श्रीमती सुषमा सिंघवी, निदेशक, महावीर वर्द्धमान खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
10. रक्षित पत्रावली।

Sd.
अतिरिक्त निदेशक, डीपीआईपी

परिशिष्ट 'अ'

1. श्री कालूलाल गुर्जर, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. श्री बाबूलाल वर्मा, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. श्री मानिक चंद सुराणा, अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग, जयपुर।
4. श्री ए.के. पाण्डे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)।
5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
6. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
7. श्री अभय कुमार, राज्य परियोजना निदेशक एवं शासन विशिष्ट सचिव, डीपीआईपी, जयपुर।
8. श्री के.के. पाठक, शासन उप सचिव, वित्त, जयपुर।
9. श्री पी.एम. व्यास, उप निदेशक, आयोजना विभाग, जयपुर।
10. श्री पी.एन.विजयवर्गीय, महा प्रबंधक, डीपीआईपी, जयपुर।
11. श्री योगेन्द्र सिंह पूनियां, अतिरिक्त निदेशक, डीपीआईपी, जयपुर।